भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2433

10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

घरेलू कंपनियों पर इस्पात के आयात का प्रभाव

2433. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2024 के प्रथम सात महीनों में चीन से 15 लाख टन इस्पात का आयात किया गया है जो गत वर्ष इसी अवधि के दौरान आयात किए गए नौ लाख टन इस्पात से 66.7 प्रतिशत अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयातित इस्पात का मूल्य घरेलू कंपनियों द्वारा उत्पादित इस्पात से कम है;

(ग) क्या इस्पात के आयात में वृद्धि से घरेलू कंपनियों की बिक्री प्रभावित हो रही है और स्थानीय स्तर पर विनिर्मित इस्पात की मांग घट रही है, जिसके कारण घरेलू इस्पात का मूल्य भी तीन वर्षों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है;

(घ) क्या इस्पात की गुणवत्ता जांच को सख्त बनाने का उद्देश्य इस्पात के आयात को नियंत्रित करना है;

(ङ) अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर आयात किए जा सकने वाले इस्पात ग्रेडों का ब्यौरा क्या है; और

(च) आयात के लिए प्रतिबंधित इस्पात ग्रेडों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच. डी. कुमारास्वामी)**

(क): वर्ष 2024 के पहले सात महीनों अर्थात जनवरी-जुलाई, 2024 (अनंतिम), तथा जनवरी-जुलाई, 2023 के दौरान चीन से तैयार इस्पात के आयात का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

मद	**जनवरी - जुलाई 2024*** **(लाख टन में)**	**जनवरी - जुलाई 2023** **(लाख टन में)**	**% परिवर्तन***
चीन से तैयार इस्पात का आयात	16.1	9.0	80
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम;			

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र है, जहां इस्पात की कीमतें बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्धारित होती हैं तथा इसकी उपलब्धता के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तैयार इस्पात के उत्पादन, खपत और आयात का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	**तैयार इस्पात (मिलियन टन में)**		
	उत्पादन	**खपत**	**आयात**
2021-22	113.60	105.75	4.67
2022-23	123.20	119.89	6.02
2023-24	139.15	136.29	8.32
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी);			

(घ) से (च): अंतिम उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की खपत हेतु समर्थ बनाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने इस्पात के विभिन्न ग्रेड के लिए मानक तैयार किए हैं। तदनुसार, इस्पात मंत्रालय ने इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किया है जो अधिदेशित करता है कि क्यूसीओ के तहत अधिसूचित प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात के प्रयोग की अनुमति है और घटिया इस्पात उत्पादों को अनुमति नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं और बड़े पैमाने पर जनता को केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात उपलब्ध कराया गया है। क्यूसीओ घरेलू इस्पात उत्पादकों के साथ-साथ देश में आयातित इस्पात दोनों पर लागू होता है। क्यूसीओ का उद्देश्य अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, न कि इस्पात आयात को नियंत्रित करना। हालांकि, कुछ इस्पात ग्रेड जो बीआईएस मानकों के अंतर्गत नहीं आते हैं, इस्पात मंत्रालय के अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के साथ उनका आयात किया जा सकता है।

*****